न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–डॉ एस.पी.सिंह (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या– 379/2016
बउनवान

रामरतन मीणा पुत्र श्री रामप्रताप मीणा आयु 44 वर्ष जाति–मीणा
निवासी–मोग्या बस्ती वार्ड नं0 1 सीसवाली, तहसील–मॉगरोल जिला–बारां **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार,मॉगरोल **(रेस्पोंडेंट)**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956
उपस्थिति :–1. श्री हरीओम चतुर्वेदी, अभिभाषक **(अपीलांट)**
2. पैरोकार सरकार **(रेस्पोंडेंट)**

निर्णय दिनांक 05.07.2018

अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मॉगरोल के आदेश दिनांक 30.5.2016 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–सीसवाली, तहसील–मॉगरोल की आराजी खसरा नम्बर 1847 रकबा 3.54 हैक्टर आबादी क्षेत्र है। उक्त आराजी की 0.40 है0 भूमि पर 20–25 वर्षो से अपीलांट एवं अन्य कमजोर आर्थिक स्थिति के गरीब व्यक्तियों के मकान बने हुये है जो मोग्या बस्ती ग्राम सीसवाली के वार्ड नं. 1 आबादी विस्तार क्षेत्र है। उक्त खसरा नम्बर 1847 क्षेत्रफल 0.40 है0 उप तहसील भवन सीसवाली हेतु निःशुल्क आवंटन की गयी थी। आवंटित भूमि पर उप तहसील भवन निर्मित है। अपीलांट ग्राम सीसवाली के विस्तारित आबादी क्षेत्र में बने हुये आवास में अपने परिवार सहित विगत 20 वर्षो से निवास करता चला आ रहा है। अपीलांट एवं अन्य पडौसियों के आवास, जनसंख्या एवं मतदाता सूची में चिन्हित है। उक्त मकान पर हीं अपीलांट का राशनकार्ड, परिचय पत्र, आधार कार्ड बने हुये है। 15 वर्षो से अपीलांट के मकान पर रामदेव जी के भण्डोर का एक माह तक संचालन होता है। अपीलांट के पास उक्त मकान के अलावा अन्य कोई रिहायशी परिसर नहीं है। अपीलांट अति गरीब एवं अल्प आय वर्ग का व्यक्ति है जिसने कर्ज लेकर अपना घर निर्मित किया है। ख0नं0 1847 की आराजी किस्म बंजड आबाद क्षेत्र होने से आबादी में रूपान्तरित होकर नियमन किये जाने योग्य है।

जिला कलक्टर
बारां (राज0)

अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को आबाद क्षेत्र में बने मकानो से बेदखल करने के आदश पारित किये गये है। इस आदेश से अपीलांट एवं उसके परिवार के बेघर होने का पूर्ण अन्देशा है, अस्तु अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 30.5.2016 निरस्त फरमाया जावे।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलांट का आवास विवादित आराजी खं0 नं0 1847 रकबा 0.40 है0 ग्राम सीसवाली के आबादी क्षेत्र में बना हुआ है। जिसमें लगभग 25 वर्षो व अपीलांट व अन्य कई व्यक्तियों के रिहायशी मकान बने हुये है। इसी आराजी में उप तहसील भवन सीसवाली को भी आराजी आवंटित की हुई है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को उक्त आबादी बारानी भूमि 0.01 है0 भूमि पर मकान निर्मित करने का दोषी मानकर बेदखली के आदेश पारित किये है। उक्त आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेहीं का कोई समुचित अवसर नहीं दिया है। जबकि उक्त आराजी घनी आबादी क्षेत्र है जिसमें कई व्यक्तियों द्वारा वर्षो से मकान बनाकर, निवास कर रहे है। अपीलांट के इसी निवास स्थान के राशनकार्ड, परिचय पत्र व आधार कार्ड बने हुये है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय को उक्त आदेश पारित करने से पूर्व ग्राम पंचायत से आबादी की मौका रिपोर्ट व वर्तमान में निवास करने वालों व्यक्तियों से पूछताछ करके आदेश पारित करना चाहिये था। [illegible] ने एकतरफा व मनमाना आदेश पारित किया है। यदि उक्त [illegible] में अपीलांट को बेदखल कर दिया गया है तो परिवार के सभी [illegible] जायेगे। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ [illegible] निर्णय दिनांक 30.5.2016 निरस्त फरमाया जाकर, उक्त आराजी खसरा नम्बर 1847 रकबा 0.40 है0 को आबादी क्षेत्र में रूपान्तरित कराकर, काबिज भूमि का [illegible] की इस्तदुआ की गयी।

इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि विवादित आराजी सिवायचक बारानी भूमि है, जिसपर अपीलांट ने अवैध तरीके से कब्जा कर, मकान निर्माण किया है। जो कानून संगत नहीं होकर, अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को धारा–22 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 के प्रावधानों के तहत अतिकमी पाये जाने पर अवैध निर्माण को हटाने/बेदखली के आदेश पारित किये है जो पूर्णतया विधि सम्मत दिये गये है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया जिससे पाया जाता है कि विवादित आराजी जिसपर अपीलांट द्वारा रहवास हेतु रिहायशी मकान निर्मित कर, अतिक्रमण किया है। उक्त आराजी सिवाचयक बारानी III भूमि है। जो आबादी

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

क्षेत्र नहीं है। अपीलांट ने उक्त आराजी खंसरा नम्बर 1847 रकबा 0.01 है0 भूमि पर अवैध तरीके से अतिक्रमण कर, मकान का निर्माण कर रखा है। ग्राम पंचायत के रेकार्ड में भी आबादी दर्ज नहीं है। अपीलांट के मत है कि वह लगभग 20–25 वर्षो से उक्त आराजी पर मकान निर्मित कर निवास कर रहा है तथा राशनकार्ड, परिचय पत्र व आधार कार्ड भी इसी निवास स्थान के बने हुये है,उचित प्रतीत नहीं होता है क्योकि उक्त आराजी वर्तमान में सिवायचक उपनिवेशन की भूमि है जिसपर अपीलांट ने अतिक्रमण किया है, जो अतिचार की श्रेणी में आता है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को प्रश्नगत आराजी पर अवैध मकान निर्माण करने का दोषी पाये जाने पर हीं, अवैध निर्माण को हटाने/बेदखली व शास्ति से आरोपित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में कोई विधिक भूल या त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मॉगरोल द्वारा प्रकरण संख्या 01/16 में पारित आदेश दिनांक 30.05.2016 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 05.07.2018 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official